HINDUSTAN TIMES

{ FAST-TRACKING CRIMINAL JUSTICE }

Push to digital policing: e-summons, e-evidence

DGP highlights growing importance of digital tools in improving transparency in criminal investigations

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: In a significant push towards digitising the criminal justice system, the Uttar Pradesh Police on Friday organised a one-day workshop on using e-summons and e-evidence to ensure effective implementation of the three new criminal laws notified by the government of India. The workshop was held at the Amar Shaheed Chandrashekhar Azad auditorium at the police headquarters under the aegis of the Technical Services Headquarters.

Director general of police (DGP) Rajeev Krishna attended the event as chief guest, while director general (prisons and correctional services) PC Meena was guest of honour. Senior officers from multiple police and allied departments were also present. The event began with a ceremonial lamp lighting, followed by a presentation by ADG (technical services) Naveen Arora, who outlined the workshop's objectives and framework.

Addressing the gathering, the DGP highlighted the growing importance of digital tools such as e-summons and e-evidence in improving transparency, efficiency and timeliness in criminal investigations and trials. The workshop featured six technical sessions conducted by experts from institutions including NIC, JTRI, NFSU, the Prosecution Department, UPSIFS, and the Forensic Science Laboratory.

DGP Rajeev Krishna lights the lamp while inaugurating the workshop, alongside ADG (technical) Naveen Arora and D-G PC Meena (extreme right) HT PHOTO

These sessions focused on practical implementation, challenges and best practices in adopting digital processes within policing and prosecution.

Participation was extensive: Around 175 nodal officers from districts and commissionerates joined online while nearly 350 personnel associated with summons execution, evidence handling and investigation attended offline from various zones, ranges and districts.

Officials said the initiative's primary objective is to build capacity among police personnel, sensitise supervisory officers and ensure 100% implementation of new criminal codes. The effort also aims to improve UP's position in national rankings by ensuring timely execution of legal processes like summons and warrants, thereby optimising manpower and resources.

According to data shared during the workshop, the statewide average for e-evidence usage currently stands at 46.6%, with Bhadohi, Sonbhadra and Moradabad leading among districts. For e-summons, the state average is 86%, with Amroha, Kaushambi and Rampur ranking at the top.

Senior officials reiterated that the UP Police and Technical Services Headquarters are committed to fully implementing the technological provisions outlined in new criminal laws, in line with the vision of the Union home ministry and the state government. The session concluded with a vote of thanks and the presentation of mementos to guest speakers.

DAINIK JAGRAN

तकनीक से न्यायिक प्रक्रिया होगी और सशक्त : डीजीपी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि तकनीक के इस्तेमाल से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित, प्रभावी और सशक्त बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिसिंग से लेकर अपराध पर नियंत्रण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। ई-साक्ष्य को सही तरह से संकलित कर उसे अदालत के सामने पेश करके अपराधियों को आसानी से सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ई-समन की प्रक्रिया को भी अपनाना समय की जरूरत है। इससे पुलिस कर्मियों का समय बचेगा और समन तामील करने के लिए बार-बार आरोपित के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में तकनीकी सेवा विभाग द्वारा ई-समन एवं ई-साक्ष्य के प्रभावी उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीजीपी ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लागू नई आपराधिक न्याय संहिताओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। कार्यशाला में लगभग 525 नोडल अधिकारी और पुलिसकर्मी आनलाइन व आफलाइन शामिल हुए। डीजीपी ने कहा कि राज्य में ई-समन और ई-साक्ष्य प्रणाली पहले ही लागू की जा चुकी है। ई-साक्ष्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य के 46.6 प्रतिशत के औसत के मुकाबले भदोही, सोनभद्र और मुरादाबाद अग्रणी रहे, जबकि ई-समन में राज्य के 86 प्रतिशत औसत के साथ अमरोहा, कौशांबी और रामपुर शीर्ष स्थान पर रहे। कार्यशाला में महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना व अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

AMAR UJALA

डीजीपी ने कार्यशाला का किया शुभारंभ : डीजीपी राजीव कृष्ण ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में ई समन और ई साक्ष्य के प्रयोग पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। यह आयोजन पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीजी जेल पीसी मीना विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला में एनआईसी, अभियोजन विभाग और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञों ने 6 तकनीकी सत्र संचालित किए। करीब 350 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। डीजीपी ने बताया कि ई समन और ई साक्ष्य व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। ब्यूरो

NAVBHARAT TIMES

'ई-समन और ई-साक्ष्य लागू करने में छोटे जिले आगे'

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** उत्तर प्रदेश पुलिस में ई-समन और ई-साक्ष्य व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन में छोटे जिले आगे हैं। राज्य औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए भदोही, सोनभद्र और मुरादाबाद ई-साक्ष्य के मामले में वहीं अमरोहा, कौशाम्बी और रामपुर ई-समन की श्रेणी में शीर्ष पर रहे हैं। यह जानकारी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सामने आई।

पुलिस मुख्यालय लखनऊ स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन डीजीपी राजीव कृष्णा ने किया। उन्होंने कहा कि ई-समन और ई-साक्ष्य नई आपराधिक न्याय संहिताओं की रीढ़ हैं और इनके बेहतर उपयोग से जांच, विवेचना और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में ई-समन व्यवस्था लगभग 86 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जबकि ई-साक्ष्य का स्टेट एवरेज 46.6 प्रतिशत है, जिसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

कार्यशाला में NIC, NFSU, FSL, अभियोजन विभाग और UPSIFS के विशेषज्ञों ने ई-साक्ष्य संकलन और ई-समन तामीला पर तकनीकी सत्र लिए। कार्यशाला में प्रदेशभर के

■ उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोले डीजीपी राजीव कृष्णा

■ यूपी को टॉप थ्री राज्यों में लाने का लक्ष्य तय किया

लगभग 175 नोडल अधिकारियों ने ऑनलाइन और 350 से अधिक तकनीकी कर्मचारियों ने ऑफलाइन भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना, तीनों नई न्याय संहिताओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय रैंकिंग में यूपी को शीर्ष तीन राज्यों में शामिल करवाना है।

PIONEER

ई-समन व ई-साक्ष्य के प्रयोग को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला

- डीजीपी राजीव कृष्णा ने महत्व व आवश्यकता पर डाला विस्तृत प्रकाश
- डीजी कारागार पीसी मीना व अन्य वरिष्ठ अफसर रहे मौजूद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित तीन नयी न्याय संहितायों आपराधिक कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए ई-समन एवं ई-साक्ष्य के प्रयोग को लेकर पुलिस मुख्यालय के अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथित प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा, विशिष्ट अतिथि डीजी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना और अन्य शाखाओं के वरिष्ठतम अफसर मौजूद रहे।

कार्यशाला में एडीजी तकनीकी सेवाए नवीन अरोरा ने प्लांटर भेंट कर डीजीपी का अभिवादन किया। जिसके बाद मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिसके बाद एडीजीटीएस ने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय एवं कार्यशाला की रूपरेखा से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी को अवगत कराया। जिसके बाद डीजीपी राजीव कृष्णा ने अपने उद्धबोधन में इसके महत्व एवं आवश्यकता पर विस्तृत प्रकाश डाला। यह कार्यशाला ई-साक्ष्य एवं ई-समन पर केंद्रित रही, जिसमें विभिन्न विभागों जैसे एनआईसी, जेटीआरआई, एनएफएसयू, एफएसएल आदि के विशेषज्ञों ने छह विभिन्न तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपद कमिश्नरेट्स के नोडल अधिकारी ऑनलाइन माध्यम (लगभग 175) से एवं जोन, रेंज, जनपद, कमिश्नरेट्स के समन सेल प्रभारी, साक्ष्य, विवेचना एवं समन तामीला से जुड़े तकनीकी कार्मिकों (लगभग 350) द्वारा ऑफलाइन प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक पुलिस कार्मिक को दक्ष बनाना, पर्यवेक्षक अधिकारी को सेंसटाइज करना, तीन न्याय संहिताओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन, नेशनल रैंकिंग में उप्र को प्रथम तीन स्थान पर लाना एवं ससमय प्रोसेस (समन / वारंट) का तामीला कराना था, जिससे जनशक्ति, संसाधन व श्रम का सदुपयोग हो सके।

यूपी पुलिस ई-समन एवं ई-साक्ष्य व्यवस्था को सम्पूर्ण उप्र में लागू किया जा चुका है। वर्तमान में ई-साक्ष्य के स्टेट एवेरेज 46.6 प्रतिशत के सापेक्ष जनपद भदोही, सोनभद्र एवं मुरादाबाद तथा ई-समन के स्टेट एवेरेज 86प्रतिशत के सापेक्ष जनपद अमरोहा, कौशाम्बी एवं रामपुर शीर्ष स्थान पर रहें। भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित तीन न्याय संहिताओं मे वर्णित तकनीकी प्रावधानों को शत प्रतिशत लागू करने की गृहमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उप्र शासन की मंशा के अनुरूप यूपी पुलिस एवं तकनीकी सेवायें मुख्यालय दृढ़ संकल्पित है।

-

SWATANTRA BHARAT

बदलते समय में डिजिटल तकनीक का उपयोग बेहद आवश्यक : डीजीपी

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में ई-समन और ई-साक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन को

- **ई-समन और ई-साक्ष्य पर कार्यशाला, डिजिटल न्याय प्रणाली को मिलेगा बढ़ावा**
- **सभी जिलों और कमिश्नरेट के लगभग 175 नोडल अधिकारी हुए शामिल**

लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई आपराधिक न्याय संहिताओं के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि पीसी मीना महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) नवीन अरोरा ने मुख्य अतिथियों का स्वागत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया। एडीजी तकनीकी सेवाएं ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों से अवगत कराया। संबोधन में डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि बदलते समय में डिजिटल तकनीक का उपयोग न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने ई-समन और ई-साक्ष्य प्रणाली को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होने के साथ ही ई-साक्ष्य और ई-समन के व्यवहारिक उपयोग में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की गई। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों और कमिश्नरेट्स के 175 नोडल अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया, जबकि करीब 350 पुलिसकर्मी ऑफलाइन रूप से शामिल हुए।

इनमें समन सेल प्रभारी, विवेचना अधिकारी और तकनीकी स्टाफ शामिल रहे। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना, पर्यवेक्षक अधिकारियों को संवेदनशील करना और नई न्याय संहिताओं के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना रहा। प्रदेश में ई-साक्ष्य का औसत 46.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जिसमें भदोही, सोनभद्र और मुरादाबाद जिले शीर्ष पर हैं। वहीं ई-समन के मामले में 86 प्रतिशत औसत के साथ अमरोहा, कौशांबी और रामपुर अग्रणी जिलों में शामिल हैं। कार्यक्रम समापन के दौरान अतिथि वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

RASHTRIYA SWAROOP

यूपी पुलिस का डिजिटल संकल्प ई-समन और ई-साक्ष्य पर जोर

लखनऊ(वरिष्ठ संवाददाता)। प्रदेश पुलिस ने नई न्याय संहिताओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ई-समन और ई-साक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन मंथन किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्मिकों को डिजिटल व्यवस्था में दक्ष बनाना और नई न्याय संहिताओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारना है, ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पेपरलेस बनाकर उत्तर प्रदेश को नेशनल रैंकिंग में शीर्ष पर ले जाया जा सके। डीजीपी ने किया कार्यशाला का मार्गदर्शन। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि महानिदेशक (कारागार), पीसी. मीना विशिष्ट अतिथि रहे। अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। अपने संबोधन में डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि नई न्याय संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू करना पुलिस विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने ई-समन और ई-साक्ष्य व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

TARUN MITRA

ई-समन और ई-साक्ष्य पर कार्यशाला, डिजिटल न्याय प्रणाली को मिलेगा बढ़ावा

डीजीपी ने कहा—बदलते समय में डिजिटल तकनीक का उपयोग बेहद आवश्यक

◆ प्रदेश के सभी जिलों और कमिश्नरेट के लगभग 175 नोडल अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया

लखनऊ, 24 अप्रैल (तरूणमित्र)। यूपी पुलिस की तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में ई-समन और ई-साक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

यह कार्यशाला भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई आपराधिक न्याय संहिताओं के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित की गई।

कार्यक्रम में डीजीपी राजीव कृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि पीसी मीना महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं यूपी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) नवीन अरोरा द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत कर की गई।

इसके बाद मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया। एडीजी तकनीकी सेवाएं ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों से सभी को अवगत कराया। अपने संबोधन में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि बदलते समय में डिजिटल तकनीक का उपयोग न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने ई-समन और ई-साक्ष्य प्रणाली को न्यायिक प्रक्रिया में क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

कार्यशाला में एनआईसी, जेटीआरआई, एनएफएसयू अभियोजन विभाग, यूपी एसटीएफ और एफएसएल जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा छह तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें ई-साक्ष्य और ई-समन के व्यवहारिक उपयोग, चुनौतियों और समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों और कमिश्नरेट्स के लगभग 175 नोडल अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया, जबकि करीब 350 पुलिसकर्मी ऑफलाइन रूप से शामिल हुए। इनमें समन सेल प्रभारी, विवेचना अधिकारी और तकनीकी स्टाफ शामिल रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना, पर्यवेक्षक अधिकारियों को संवेदनशील करना और नई न्याय संहिताओं के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना रहा। इसके साथ ही समन और वारंट की समयबद्ध तामीला के जरिए न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में ई-साक्ष्य का औसत 46.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जिसमें भदोही, सोनभद्र और मुरादाबाद जिले शीर्ष पर हैं।

वहीं ई-समन के मामले में 86 प्रतिशत औसत के साथ अमरोहा, कौशांबी और रामपुर अग्रणी जिलों में शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में अतिथि वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डीआईजी तकनीकी सेवाएं द्वारा सेमिनार का सार प्रस्तुत किया गया और एसपी (एडी) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

VOICE OF LUCKNOW

ई-समन एवं ई-साक्ष्य के प्रयोग पर कार्यशाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सेवाएं मुख्यालय ने शुक्रवार को प्रातः 10.00 से सायं 16.45 बजे तक पुलिस मुख्यालय लखनऊ स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित तीन नयी न्याय संहितायों आपराधिक कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए ई-समन एवं ई-साक्ष्य के प्रयोग को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पी.सी मीना, महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 विशिष्ट अतिथि के रूप में और अन्य शाखाओं के वरिष्ठतम अधिकारी उपस्थित रहे । अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने प्लांटर भेंट कर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का अभिवादन किया एवं मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। एडीजीटीएस द्वारा कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय एवं कार्यशाला की रूपरेखा से प्रस्तुतिकरण (पीपीटी) के माध्यम से सभी को अवगत कराया। तत्पश्चात राजीव कृष्णा (डीजीपी) ने अपने उद्बोधन में इसके महत्व एवं आवश्यकता पर विस्तृत प्रकाश डाला। यह कार्यशाला ई-साक्ष्य एवं ई-समन पर केंद्रित रही, जिसमें विभिन्न विभागों जैसे एनआईसी, जेटीआरआई, एनएफएसयू प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट यूपीएसआईएफएस, एफएसएल आदि के विशेषज्ञों द्वारा 6 विभिन्न तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया ।

ई-समन एवं ई-साक्ष्य के प्रभावी उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि तकनीक के इस्तेमाल से न्याय प्रक्रिया को और सशक्त बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिसिंग से लेकर

अपराध पर नियंत्रण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। ई-साक्ष्य को सही तरह से संकलित कर उसे अदालत के सामने पेश करके अपराधियों को आसानी के साथ सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ई-समन की प्रक्रिया को भी अपनाना समय की जरूर है। इससे पुलिस कर्मियों का समय बचेगा और समन तामील करने के लिए बार-बार आरोपित के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस मुख्यालय में तकनीकी सेवा विभाग द्वारा ई-समन एवं ई-साक्ष्य के प्रभावी उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीजीपी ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लागू नई आपराधिक न्याय संहिताओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यशाला में लगभग 525 नोडल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रतिभाग किया।डीजीपी ने कहा कि राज्य में ई-समन और ई-साक्ष्य प्रणाली पहले ही लागू की जा चुकी है। ई-साक्ष्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य के 46.6 प्रतिशत के औसत के मुकाबले भदोही, सोनभद्र और मुरादाबाद अग्रणी रहे, जबकि ई-समन में राज्य के 86 प्रतिशत औसत के साथ अमरोहा, कौशांबी और रामपुर शीर्ष स्थान पर रहे। कार्यशाला में महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना व अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

-

GROUP-5

यूपी पुलिस का डिजिटल संकल्प

नई न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला

ग्रुप 5 संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश पुलिस ने नई न्याय संहिताओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ई-समन और ई-साक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन मंथन किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्मिकों को डिजिटल व्यवस्था में दक्ष बनाना और नई न्याय संहिताओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारना है, ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पेपरलेस बनाकर उत्तर प्रदेश को नेशनल रैंकिंग में शीर्ष पर ले जाया जा सके। डीजीपी ने किया कार्यशाला का मार्गदर्शन। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि महानिदेशक (कारागार), पीसी. मीना विशिष्ट अतिथि रहे। अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। अपने संबोधन में डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि नई न्याय संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू करना पुलिस विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने ई-समन और ई-साक्ष्य व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तकनीकी सत्रों का महाकुंभ-कार्यशाला में छह तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। संस्थान एसआईसी, जेटीआरआई, एनएफएसयू, अभियोजन विभाग (प्रॉसीक्यूशन), यूपीएसआईएफएस और एफएसएल कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपद कमिश्नरेट्स के लगभग 175 नोडल अधिकारियों ने ऑनलाइन और 350 समन सेल प्रभारियों व तकनीकी कार्मिकों ने ऑफलाइन मोड में हिस्सा लिया। ई-व्यवस्था में आगे रहने वाले जनपद-कार्यशाला के दौरान प्रदेश में ई-समन और ई-साक्ष्य के मौजूदा प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जहाँ शीर्ष स्थान पर रहने वाले जनपदों को सराहा गया।